न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 178/2010

चिरंजीलाल पुत्र पदमाराम उर्फ दामाराम जाति माली निवासी नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू जरिये मुख्तयार–खास आनन्द कुमार सैनी पुत्र चिरंजीलाल जाति माली निवासी नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. सीताराम पुत्रान पदमाराम जाति माली निवासी नवलडी
3. धूडाराम पुत्र हरदेवाराम जाति माली निवासी नवलडी
4. शिशपाल पुत्र भागूराम जाति मेघवाल निवासी नवलडी तहसील नवलगढ
5. गिरधारीलाल पुत्र हरदेवाराम जाति माली निवासी नवलडी
6. मनभावतीदेवी पत्नी बीरबल जाति जांगिड निवासी नवलडी तहसील नवलगढ
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा जमीन, स्थाई निषेधाज्ञा
अं.धा. 53, 188 आर.टी.ए.

वकील वादी–श्री अशोक कुमार जांगिड
वकील प्रतिवादी–श्री विजेन्द्रसिंह दूत

निर्णय

निर्णय तिथि 22.04.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 आपस में भाईबंधु हैं तथा प्रतिवादी नं. 3 लगायत 6 सह काश्तकार हैं। वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 वाके ग्राम नवलडी के स्थाई निवासी हैं। वादी मजदूरी पेशा व्यक्ति है अक्सर बाहर मजदूरी के लिये रहता है इसलिये वादी अपनी 1/3 हिस्से की भूमि की सुरक्षा सार संभाल व वाद विवाद की स्थिति में अपने पुत्र आनन्द कुमार सैनी को अपना मुख्त्यारनामा–खास नियुक्त कर रखा है। मुख्त्यार खास दिनिांक 06.09.2010 के द्वारा आनन्द कुमार सैनी को वादी की ओर से दावा पेश करने का हक अधिकार प्राप्त है। यह दावा जरिये मुख्त्यार आनन्द कुमार सैनी प्रस्तुत कर रहा है। वाके ग्राम नवलडी की सरहद में खाता सं0 132 के ख.न. 485/0.10, 1309/0.03, 1310/0.02, 1311/2.09 किता 4 कुल रकबा 2.24 है0 स्थित है, जिसकी खातेदारी पूर्व में धुडाराम व गिरधारी पिता हरदेवाराम जाति माली के नाम से दर्जशुदा थी। धुडाराम प्रतिवादी नं. 3 व गिरधारीलाल प्रतिवादी नं. 5 का उपरोक्त भूमि में बराबर बराबर 1/2 हिस्सा था। धुडाराम प्रतिवादी नं. 3 ने अपने 1/2 हिस्सा में से दिनांक 18.01.96 को जरिये विक्रय पत्र 0.79 है0 भूमि का बेचान वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को कर दिया। क्रय उपरांत उक्त खरीदशुदा भूमि का नामा0 सं0 289 दिनांक 21.04.97 को दर्ज हो गया और वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त हो गये तब से लेकर आज तक वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 काबिज है प्रतिवादी नं. 3 ने अपने 1/2 हिस्सा भूमि यानिकि 1.12 है0 में से 0.79 है0 वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को विक्रय करने पर शेष 0.33 है0 तथा गिरधारी प्रतिवादी नं. 5 को अपने 1/2 हिस्सा भूमि को संवत 2053 से 2056 में अलग अलग खातेदारों को विक्रय कर दिया कुछ भूमि को संवत 2057 से 2060 में विक्रय कर दिया जिनका नामा0 नोट उक्त संवत की जमाबंदी में दर्जशुदा है तथा संवत 2061 से 2064 में उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन कर खाता सं0 128 ख.न. 485 रकबा 0.10, ख.न. 1309 रकबा 0.03, ख.न. 1302 रकबा 0.02 कुल किता 3 कुल रकबा 0.15 है0 तथा खाता सं0 129 के ख.न. 1311/1.77 तथा खाता सं0 177 के ख.न. 1639/1311/0.06, खाता सं0 200 के ख.न. 1638/1311/0.08 खाता सं0 324 के ख.न. 1637/1311/0.18 दर्ज कर दिया। वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 की खरीदशुदा भूमि 0.79 है0 भूमि को दो खातों में शामलाती रूप से खाता सं0

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

के ख.न. 485/0.10, 1309/0.03, 1310/0.02 कुल रकबा 0.15 है0 में वादी व प्रतिवादी का 0.06 है0 तथा खाता सं0 129 के ख.न. 1311/1.77 है0 में वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 0.73 है0 दर्ज हो गया। इस प्रकार इस मौजूदा दावे में भूमि ख.न. 485, 1309, 1310, 1311 का विवाद है। शेष खसरा नम्बरान् को कोई विवाद नही है। वादग्रस्त भूमि ख.न. 485/0.10, 1309/0. 1310/0.02 कुल रकबा 0.15 है0 में वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 0.06 है0 जो शामलाती दर्जशुदा है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा यानिकि 0.02 है0 भूमि तथा भूमि ख.न. 1311/1.77 है0 में वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 0.73 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 यानिकि 0.2433है0 है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण दोनों खातों की भूमि में वादी का कुल 1/3 हिस्सा 0.2633 है0 बनता है तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 2/3 यानिकि 0.04+0.4866 कुल 0.5266 है0 है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के अलावा प्रतिवादी नं. 3 लगायत 6 के नाम भी उनके हिस्से की खातेदारी दर्जशुदा है। राजस्व रिकार्ड शामलाती है। प्रतिवादी नं. 3 लगायत 6 के नाम भी उनके हिस्से की खातेदारी दर्जशुदा है। राजस्व रिकार्ड शामलाती है। प्रतिवादी नं. 3 लगायत 6 अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं तथा वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 अपन खरीदशुदा भूमि 0.79 है0 पर शामलाती काबिज काश्त हैं। वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 सह काश्तकार है जिसका वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त प्रत्येक खातेदार का चला आ रहा है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है, बिना विधिवत विभाजन के वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 0.2633है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 0.5266है0 है तथा शेष भूमि प्रतिवादी नं. 3 लगायत 6 की खतोदारी की है यानिकि खाता सं0 146 के अंतर्गत ख.न. 485, 1309, 1310 कुल रकबा 0.15 है0 में वादी का हिस्सा 0.02 है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 व 3 व प्रतिवादी नं. 5 का हिस्सा 0.13 है0। खाता सं0 129 के ख.न. 1311/1.77है0 में वादी का हिस्सा 0.2433है0 तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 का 1.5267 है0 जिसका विधिवत विभाजन नही होने के कारण कब्जा काश्त को लेकर तथा विभाजन को लेकर आये दि वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के मध्य विवाद होता रहता है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 झगडालू प्रवृति के व्यक्ति हैं जो संख्या में ज्यादा हैं, वादी मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो मजदूरी के लिये अक्सर विदेश रहता है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 इसी भूमि में मकान बनाकर आबाद हैं सडक से लगती हुई भूमि खाली है पिछे सभी ने अपने अपने हिस्सा अनुसार मकान बना रखे हैं। वादी के मकान पिछे की तरफ है है मकानो की भूमि को छोडकर शेष भूमि वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 की भूमि शामलाती है अब प्रतिवादी नं. 1 व 2 के मन में बेईमानी हो गई और सडक से लगती हुई भूमि मे नाजायज रूप से निर्माण करना चाहते हैं। दिनाकि 27.08.10 को पत्थर वगैरह भी डाल लिये हैं जबकि भूमि का कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है जिसमें वादी का भी हक हिस्सा है तथा वादी के आने जाने के रास्ते को भी बंद करना चाहते हैं। इसलिये वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 0.2633है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 0.5266 है0 तथा शेष हिस्सा उपरोक्तानुसार का है तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन कर अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा बंटवारा प्राथमिक डिक्री द्वारा करवाया जावे इसलिये दावा बाबत बंटवारा जमीन का पेश करना आवश्यक हुआ। दिनांक 12.09. 2010 को प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने एलानिया धमकी दे है कि अभी तो हमने मकानों का निर्माण शुरू किया है आपका रास्ता भी बंद कर देंगे। इसलिये प्रतिवादी नं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाये बिना उक्त शामलाती भूमि में वादी को कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा किसी कोई निर्माण आदि कार्य करें।

अतः दावा हाजा डिक्री किया जावे। भूमि ख.न. 485/0.10, 1309/0.03, 1310/0.02 कुल रकबा 0.15 है0 तथा ख.न. 1311/1.77 है0 वाके ग्राम नवलडी की सरहद में स्थित भूमि का बंटवारा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर वादी का हिस्सा भूमि ख.न. 485/0.10, 1309/0.03, 1310/0. 02, कुल रकबा 0.15 है0 में से 0.02 है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 व 5 का हिस्सा 0.13 है0 तथा ख.न. 1311/1.77 है0 में से वादी का हिस्सा 0.2433है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 का हिस्सा 1. 5267है0 अलग अलग किया जावे। तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल न तो स्वंय डाले न अपने किसी अन्य से करवाये। विधिवत विभाजन हुये बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा वादी के हिस्से को डेमेज व वेस्ट नही करे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

में लाई गई तथा प्रतिवादी नं. 6 व 7 की और से जबाब प्रस्तुत नही करने पर जबाबदावा बंद गया। प्रतिवादी नं. 1 व 2 की और से वकील श्री विजेन्द्रसिंह दूत का वकालतनामा पेश हुआ तथा और से जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादी अस्वीकार किया गया तथा वर्णित किया गया कि वादग्रस्त भूमि नये ख.न. 485/0.10, 1309/0.03, 1310/0.02 कुल रकबा 0.15 है0 में वादी व उतरदातागण का हिस्सा 0.06 है0 व प्रतिवादी नं. 3 का स्सिा 0.03 है0 व प्रतिवादी नं. 5 का हिस्सा 0.07 है0 तथा भूमि ख.न. 1311 /1.77है0 में वादी व उतरदातागण का हिस्सा 0.73 है0व प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 6 का हिस्सा 1.04 है0 जो शामलाती खातेदारी की भूमि है। जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण ने फैमेली सैटलमेन्ट के हिसाब से हिससे अनुसार मौखिक बंटवारा करके अलग अलग काबिज व आबाद हैं। इस प्रकार से वादी व उतरदातागण का बराबर बराबर 1/3, 1/3 हक हिस्सा है यानिकि प्रत्येक का 0.2633 है। अर्थात वादी व उतरदातागण तीनो का हिस्सा 0.79 है0 है। विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण ने हिस्से अनुसार मौखिक विभाजन अलग अलग कब्जा काश्त कर रखा है तथा सभी ने अपने अपने हिस्से व कब्जे काश्त की विवादग्रस्त भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर काबिज व आबाद हैं। उतरदाता सीताराम भी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में निर्माण सामग्री डलवाकर मकान बनवा रहा है। जिसको वादी ने गलत तरीके से रूकवा रखा है जबकि कानूनन की समानता के सिद्धान्त के अनुसार वादी व अन्य प्रतिवादीगण की तरह उतरदाता सीताराम को भी मकानात निर्माण करवाने का हक अधिकार है। इसलिये कानून भी समानता के सिद्धान्त के अनुसार वादी उतरदातागण के खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसलिये वाद खारिज होने योग्य है। जबाबदावा प्रस्तुत होनें पर निम्नानुसार तनकियाता कायम की गईः–

1. तनकी नं. 1:– आया विवादित भूमि ग्राम नवलडी की सरहद में ख.न. 485/0.10, 1309/0.03, 1310/0.02, 1311/2.09 किता 4 कुल रकबा 2.24 है0 स्थित है। पैत्रिक सम्पति है जिसका विभाजन कराने राजस्व रिकार्ड मुं दुरूस्त करवाने वादी का हिस्सा 0.2633 है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 का हिस्सा अलग अलग कायम करवाने विभाजन करवाने का अधिकारी है।

   –भा.स.वादी

2. तनकी नं. 2:– आया प्रतिवादी नं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

   –भा.स.वादी

3. तनकी नं. 3:– आया विवादित भूमि मे वादी व उतरदातागण का बराबर बराबर 1/3, 1/3 हक हिस्सा है। प्रत्येक 0.2633है0 है। प्रतिवादीगण नं. 1 से 6 एवं वादी मौखिक विभाजन करके अलग अलग कब्जा काश्त कर रखा है। इसी अनुसार विभाजन किया जावे रास्ता कायम किया जावे । वाद वादी गलत तथ्य अंकन कर पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

   –भा.स.प्रति0 1 व 2

4. तनकी नं. 4:– आया विवाद ग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। इसलिये खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी के खिलाफ कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

   –भा.स.प्रति0 1 व 2

उपरोक्तानुसार तनकियाता कायम की गई। परन्तु वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमत होने से वादी द्वारा ओर शहादत पेश नही करना चाहते तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी शहादत प्रतिवादी पेश नही करना चाहते हैं। अतः आपसी सहमति से उक्त वाद को प्राथमिक रूप से डिक्री करवाये जाने में सहमत होने से बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम नवलडी संवत 2065 से 2068 के अनुसार भूमि ख.न. 485/0.10, 1309/0.03, 1310/0.02, किता 3 कुल रकबा 0.15 है0 की खातेदारी धुडा पिता हरदेवा हि0 0.02 है0 चिरंजीलाल ओमप्रकाश सीताराम पुसत्र पदमाराम हि0 0.06 है0 गिरधारी पुत्र हरदेवा हि0 0.07 है जाति माली ढाणी हनुमानजीवाली सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा इसी जमाबंदी में भूमि ख.न. 1311/1.77है0 की खातेदारी धुडाराम पुत्र हरदेवाराम जाति माली हि0 1950 व0मी0 दर हिस्सा 0.25है0 चिरंजीलाल व0मी0 शिशपाल पुत्र भागूराम जाति बलाई हि0 550 व0मी0 दर हिस्सा 0.25है0 चिरंजीलाल ओमप्रकाश सीताराम पुत्र पदमाराम हि0 0.73 है0 गिरधारी पुत्र हरदेवा हि0 7389 व0मी मनभावती पत्नी बीरबलराम जाति जांगिड हि0 511 व0मी0 दर हिस्सा 0.79 है0 दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त आराजीयात शामलाती खातेदारी की है। वादी व प्रतिवादीगण आपसी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

...मति से विधिवत विभाजन चाहा गया है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से प्राथमिक रूप से ...कार किया जाता है।

नवलढी CA.

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

आदेश

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम झाझड की भूमि ख.न. 485/0.10, 1309/0.03, 1310/0.02, किता 3 कुल रकबा 0.15 है0 में वादी को 0.02 है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 व 5 को हिस्सा 0.13 है0 का तथा भूमि ख.न. 1311/1.77है0 में वादी को 0.2433 है0 का व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 को 1.5267है0 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अतः तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मोजूदगी में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 लगायत 21 की पालना करते हुये मुताबिक रिकार्ड व कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर पालना प्रस्तुतत की जावे। तदनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-4-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

नवलगढ

नोट - संशोधन वाक्य ग्राम झाझड़ किया जाता है ... नवलढी ...

29-4-19
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner